न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

हकसफा अपील वाद सं0–04/2014

बेबी देवी.....अपीलार्थी

बनाम

व्यासदेव महतो उर्फ व्यास महतो वगै0.....उत्तरवादी

आदेश

9.02.15 अपीलार्थी बेबी देवी पति अमोल महतो, ग्राम–रहिया, थाना वो जिला–खगड़िया ने व्यासदेव महतो उर्फ व्यास महतो वो तपेश्वर महतो पेसरान स्व0 मोहन लाल महतो, ग्राम–भगवानचक थाना वो जिला–खगड़िया को उत्तरवादी बनाते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा हकसफा वाद सं0–9/2011 में दिनांक–26.05.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपीलवाद लाया है।

विवादी का भूमि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

मौजा–	खाता–	खेसरा–	रकवा (वि0–क0–धू0)
बेलासिमरी– बांध घोधराहा	164–	301–	0–9–0 (नौ कट्ठा)

अपीलार्थी ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के उक्त आदेश को अवैधानिक बताते हुए कहा है कि सर्वेज्ञाता आयुक्त के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है जो इस कार्य हेतु सक्षम नहीं है। इसकी आपत्ति निम्न न्यायालय में करने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया।

अपीलार्थी का कहना है कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष ने यह दावा करते है कि विवादी भूमि की चौहद्दी वाली भूमि उनके भाईयों के बीच वापसी बटवारे में उनके हिस्से में पड़ी है जिसका विरोध उन्होनें किया था जिसके समर्थन में उत्तरवादी प्रथम पक्ष किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं दे पाया। उत्तरवादी प्रथम पक्ष का यह दावा कि उनके हिस्से की जमीन चौहद्दी पर है तो शेष चार भाईयों की जमीन किसके चौहद्दी पर है। उक्त बटवारे के संबंध में विपक्षी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है। इस प्रकार आंशिक हकसफा वाद संधारणीय नहीं है। उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी भूमिहीन है जिस पर हकसफा वाद नहीं चल सकता है। उत्तरवादीगण सं0–1 एवं 2 ने प्रत्युत्तर दाखिल कर अपीलार्थी के आवेदन पत्र खारिज करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि भूहदबंदी नियमावली के नियम 19 का अक्षरशः पालन करते हुए बहैसियत पूर्वी चौहद्दीदार के प्रश्नगत भूमि के अग्र क्रय हेतु वाद दायर किया है। प्रश्नगत भूमि जोत की है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,खगड़िया द्वारा उनके पक्ष में हकसफा का दावा नियमाकुल स्वीकृत

किया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया ने सर्वेज्ञाता आयुक्त को स्थल जॉच हेतु प्रतिनियुक्त किया था। उसने उत्तरवादी व्यास महतो को प्रश्नगत भूमि के पूर्वी चौहद्दीदार प्रतिवेदित किया है।

प्रश्गनत भूमि के चौहद्दीदार होने के समर्थन में साक्ष्य के रूप में उत्तरवादीगण सं0–1 एवं 2 द्वारा दिनांक–26.06.81 का दो केवाला सं0–3893 एवं 3895 कुल रकवा 1 बिघा 8 कट्ठा, 10 धूर का निबंधित दस्तावेज बतौर सबुत के रूप में दाखिल किया जिससे यह प्रमाणित हुआ कि उत्तरवादी सं0–1 एवं 2 प्रश्नगत भूमि के पूर्वी चौहद्दीदार है। जहॉ तक छः भाईयों के नामवाला केवाला के विरूद्ध मात्र दो भाई उत्तरवादी सं0–1 एवं 2 द्वारा हकसफा वाद दायर करने के विरूद्ध अपीलार्थी की आपत्ति है तो इस संबंध में उनका कहना है कि उत्तरवादीगण को चौहद्दीवाली जमीन आपसी मौखिक बटवारे में मिली थी।

अपीलार्थी का भूमिहीन दावा को भी उत्तरवादीगण ने नकारा है। उनका कहना है कि अपीलार्थी बेबी देवी के पति अमोल महतो पिता स्व0 बनारसी महतो तथा बनारसी महतो के नाम करीब ग्यारह बीधा जोत की जमीन है तथा अपीलार्थी संयुक्त परिवार के हिस्सेदार है इसिलिए अपीलार्थी का भूमिहीन होने का दावा असत्य है।

उनका आगे कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया ने उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विवेचनाओं एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर उत्तरवादीगण सं0–1 एवं 2 को प्रश्नगत भूमि का पूर्वी चौहद्दीदार पाकर तथा उभयपक्ष को सुनकर एवं सर्वेज्ञाता के प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उनके पक्ष में अंतिम आदेश पारित किया है। उन्होनें अपीलार्थी के आवेदन पत्र को खारिज़ हेतु अनुरोध किया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। पक्षकारों द्वारा दाखिल कागजातों का गहण विश्लेषण किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया का हकसफा वाद सं0–9/2011 में पारित आदेश का गहण अध्ययन किया। उनका आदेश का सार यह है कि अग्रक्रय का अधिकार का दावा केवल (1) भूमि हस्तान्तरित करने वाले सहभागीदार या (2) हस्तान्तरित भूमि से लगी भूमि का कोई रैयत कर सकता है। इसमें वादी (इस वाद में उत्तरवादी) को प्रश्नगत भूमि का पूरब चौहद्दी में पार्श्ववर्त्ती (Adjacent) रैयत सर्वेज्ञाता आयुक्त के प्रतिवेदन के आधार पर पाते हुए एवं हस्तान्तरित भूमि कृषि उपयोग में बताते हुए प्रतिवादीगण (अपीलार्थी) का प्रत्युत्तर स्वीकार योग्य नहीं पाया है। फल स्वरूप भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया ने आवेदकगण (उत्तरवादीगण) का अग्रक्रय का दावा को स्वीकार किया है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया ने हकसफा वाद सं0–9/2011 में विपक्षी व्यासदेव महतो वगै0 की अर्जी आवेदन पत्र एवं उभय पक्षकारों के केवाला में दर्ज चौहद्दी के अनुसार पूरब चौहद्दी में खेसरा 297, 299 एवं रामविलास पौद्दार का नाम अंकित है। उत्तरवादी ने पूर्व चौहद्दी में रामविलास पौद्दार का नाम गलत दर्ज बताया है जिसे अपीलार्थी ने खण्डण नहीं कर पाया है। खेसरा 297 की जमीन विपक्षी द्वारा केवाला से क्रय किया गया है

तथा यह खेसरा विवादी भूमि के पूर्व में है जो प्रमाणिता करता है कि वपक्षी प्रश्नगत भूमि का चौहद्दीदार है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा हकसफा वाद सं0–9/2011 में दिनांक–26.05.14 को पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होता है इसिलिए इसे बहाल रखा जाता है।

अपीलार्थी के अपीलवाद में कोई गुण–दोष (Merit) नही पाते हुए इसे खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

9/2/15
अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

9/2/15
अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञा० वी० सं० 57 दिनांक 9-2-15

प्रतिलिपि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

2. जिला सूचना पदाधिकारी एन० आई० सी० खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को खगड़िया जिले के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

9/2/15
अपर समाहर्त्ता
खगड़िया
9/2/15